

¹[नियम 120क : ²[(प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1 में घोषणा का पुनरीक्षण)]] प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने नियम 117, नियम 118, नियम 119 और नियम 120 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1 में इलेक्ट्रानिक रूप से घोषणा प्रस्तुत की है वह ऐसी घोषणा को एक बार पुनरीक्षित कर सकेगा और इलेक्ट्रानिक रूप से सामान्य पोर्टल पर उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि जो इस निमित्त आयुक्त द्वारा विस्तारित की जाए प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1 में पुनरीक्षित घोषणा प्रस्तुत करेगा।]

¹ अधिसूचना क्रमांक 34/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 15.09.2017 द्वारा नियम 120क अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 15.09.2017)।

² अधिसूचना क्रमांक 36/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.09.2017 द्वारा शीर्षक अंतःस्थापित।